(33)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

प्रकरण क्रमांक 798–दो/2007 निगरानी – विरूद्ध आदेश दिनांक 13–2–2007 पारित द्वारा अपर आयुक्त, रीवा संभाग,रीवा– प्र0क्र0 71/2002–03 अपील

1– विश्वनाथ प्रसाद 2– धनीप्रसाद
दोनों पुत्रगण रामकरण वैश्य
3– राजकुमार 4– नेपाल सिंह
दोनों पुत्रगण शॅखलाल बैश्य
निवासी ग्राम सिद्धीकलॉ तहसील सिंगरोली
जिला सीधी मध्य प्रदेश । --- आवेदकगण

विरूद्ध

रामकरन शाहू पुत्र रामखेलावन उर्फ रामदेव
ग्राम दूला तहसील सिंगरोली जिला सीधी ----अनावेदक

(आवेदकगण के अभिभाषक श्री मुकेश भार्गव)
(अनावेदक सूचना उपरांत अनुपस्थित एकपक्षीय)

आ दे श

(आज दिनांक 02 –05–2017 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा द्वारा प्र.क्र. 71/ 2002–03 अपील में पारित आदेश दिनांक 13–2–2007 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि अनावेदक ने तहसीलदार वृत्त माढ़ा के समक्ष आवेदन देकर बताया कि भूमि सर्वे क्रमांक 381/4 बंदोवस्त के वाद नया नंबर 8785 रकबा 2.66 हैक्टर पर वह काविज होकर खेती करते आ रहा है किन्तु शासकीय अभिलेख में नाम अंकित होने से छूट जाने के कारण रिकार्ड

दुरूस्ती करके उसके नाम की इतालवी की जाय। तहसीलदार वृत्त माढ़ा ने प्र.क्र. 13 अ-74/ 89-90 पंजीबद्ध किया तथा आदेश दिनांक 20-6-1994 से अनावेदक के नाम की शासकीय अभिलेख में इतालवी किये जाने का निर्णय दिया। इस आदेश के विरूद्ध आवेदकगण ने अनुविभागीय अधिकारी, सिंगरोली के समक्ष अपील प्रस्तुत की। अनुविभागीय अधिकारी सिंगरोली ने प्रकरण क्रमांक 76/2000-01 अपील में पारित आदेश दिनांक 9-10-2002 से अपील स्वीकार की एंव भूमि पूर्ववत् मध्य प्रदेश शासन के नाम दर्ज करने के आदेश दिये। इस आदेश के विरूद्ध अनावेदक ने अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा के समक्ष अपील प्रस्तुत की। अपर आयुक्त, रीवा ने प्र0क्र0 71/2002-03 अपील में पारित आदेश दि. 13-2-07 से अपील स्वीकार की एंव अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 9-10-02 को निरस्त करते हुये तहसीलदार के आदेश दिनांक 20-6-94 को यथावत् रखा। इसी आदेश से व्यथित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर आवेदकगण के अभिभाषक के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय क आदेश दि. 13-2-2007 का अवलोकन किया गया। बार-बार पत्र भेजने के वाद भी अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा प्रकरण उपलब्ध नहीं कराये गये। अनावेदक को बार-बार सूचना पत्र भेजे गये। सम्यक सूचना का अभाव मानकर पॅजीकृत डाक से भी सूचना पत्र भेजा गया, किन्तु अनावेदक अनुपस्थित रहा है जिसके कारण उसके विरूद्ध एकपक्षीय है।

4/ आवेदक के अभिभाषक के तर्को पर विचार करने एंव अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा द्वारा प्रकरण कमांक 71/2002-03 अपील में पारित आदेश दिनांक 13-2-2007 में विवेचित तथ्यों पर ध्यान देने से परिलक्षित है तहसीलदार वृत्त माढ़ा द्वारा प्रकरण कमांक 13 अ-74/89-90 में पारित आदेश दिनांक 20-6-1994 के पूर्व वाद विचारित भूमि शासकीय अभिलेख में मध्य प्रदेश शासन की अंकित रही है। अपर आयुक्त के आदेश दिनॉक

13-2-2007 के पैरा 4 का अॅश उद्धरण इस प्रकार है :-

"मेरे द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेखों का अवलोकन किया गया। अवलोकन से स्पष्ट है कि तहसील न्यायालय में अपीलार्थी के द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत किये जाने पर तहसीलदार ने प्रतिवेदन मंगाया। जहॉ पर पटवारी ने दिनांक 9-7-92 को प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया कि आराजी नंबर 381/4 से नया नंबर 885 रकबा 2.66 म0प्र0शासन की भूमि है जिस पर रामकरण जनय रामखेलावन तेली वर्ष 1989-90 में 2.00 है. पर काबिज दाखिल है। उक्त भूमि निस्तार पत्रक से अलग है तथा जिसकी पुष्टि 89-90 के खसरों से भी होती है। कैफियत कालम में भी रामकरण का नाम दर्ज है। "

अपर आयुक्त के समक्ष उपरोक्तानुसार स्थिति स्पष्ट हो चुकी थी कि भूमि मध्य प्रदेश शासन के नाम दर्ज है तथा खसरे के कैफियत के कालम में अनावेदक का नाम लिखा गया है कैफियत के कालम में किसी व्यक्ति का नाम अंकित कर देने से वह भूमिस्वामी नहीं हो जाता, क्योंकि भूमिस्वामी खसरे के कालम नंबर 3 में अंकित रहता है जहॉ पर वाद विचारित भूमि में प्रदेश शासन का नाम दर्ज है इस प्रकार मध्य प्रदेश शासन के स्वत्व की भूमि तहसीलदार माढ़ा ने जानबूझकर प्रकरण कमांक 13 अ-74/89-90 में पारित आदेश दिनांक 20-6-1994 से आवेदक के नाम शासकीय अभिलेख में इतालवी किये जाने का निर्णय लेने में त्रृटि की गई, जिसे अनुविभागीय अधिकारी सिंगरोली ने प्रकरण कमांक 76/2000-01 अपील में पारित आदेश दिनांक 9-10-2002 से निरस्त कर दिया था, किन्तु अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा ने उपरोक्तानुसार तथ्यों के परिलक्षित होने के वाद भ्रामक अर्थ निकालकर मध्य प्रदेश के नाम से दर्ज चली आ रही शासकीय भूमि अनावेदक के नाम दर्ज कराने के उदेश्य से तहसीलदार माढ़ा के आदेश दिनांक 20-6-1994 को स्थिर रखने में भूल की है जिसके कारण अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा द्वारा प्रकरण कमांक 71/2002-03 अपील में पारित आदेश दिनांक 13-2-2007 दोषपूर्ण है । तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों के अवलोकन से उनमें निकाले गये निष्कर्ष परस्पर विरोधाभाषी हैं जिसके कारण तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश दोषपूर्ण होने से स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी आँशिक रूप से स्वीकार की जाकर अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा द्वारा प्रकरण कमांक 71/2002-03 अपील में पारित आदेश दिनांक 13-2-2007, अनुविभागीय अधिकारी सिंगरोली ने प्रकरण कमांक 76/2000-01 अपील में पारित आदेश दिनांक 9-10-2002 एंव तहसीलदार माढ़ा द्वारा प्रकरण कमांक 13 अ-74/89-90 में पारित आदेश दिनांक 20-6-1994 त्रृटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाते हैं तथा प्रकरण तहसीलदार की ओर से इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि वर्ष 1956 (संबत 2013) से वर्ष 1989-90 तक के खसरा, खतौनी की असल प्रतियों से वादग्रस्त भूमि के भूमिस्वामी अंकन का मिलान करते हुये जॉच करें तथा समस्त हितबद्ध पक्षकारों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देकर पुनः विधिवत् आदेश पारित करें।

(एस0एस0अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल,म0प्र0
ग्वालियर